न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./78/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. हनुमानराम पुत्र गिरधारीराम 2. टीकमाराम पुत्र अणदाराम 3. रामचन्द्र पुत्र अणदाराम 4. हरखुदेवी पत्नी अणदाराम, जाति जाट, निवासी मेराजाणियों की बेरी, तहसील बाटाडु, जिला बाड़मेर।	1. जालुराम पुत्र कौशलाराम 2. किरण चौधरी पत्नी हुकमाराम 3. नौजीदेवी पत्नी खरथाराम 4. वालाराम पुत्र खरथाराम 5. गुलाराम पुत्र खरथाराम 6. पोकरराम पुत्र खरथाराम, जाति जाट, निवासी मेराजाणियों की बेरी, तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 97/1991 बउनवान कुशलाराम बनाम धनीदेवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.1992 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री विष्णु चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के. मेराजा उतरदाता संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–29.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88(1), 89(बी) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी के पूर्वजों के ग्राम बाटाडु, तहसील बायतु के नवसृजित ग्राम मेराजाणियों की बेरी में प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी में खेत खसरा संख्या 1450 रकबा 350 बीघा का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 धनीदेवी ने अपने हिस्से की आराजी में 60 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति से वादी को बेचान कर मौके पर कब्जा करा दिया एवं तब से वादी उक्त स्थान पर काबिज है। राजस्व रेकार्ड में खातेदारी इन्द्राज वादी के पक्ष में हो गया तथा क्रय की गई भूमि का नवीन खसरा संख्या 1450/2 कायम हुआ। वादी को प्रतिवादीगण अपने कब्जे–काश्त से बेदखल करना चाहते हैं इस हेतु वादी द्वारा मय नक्शा कब्जा–काश्त अनुसार वाद प्रस्तुत किया। जिस पर जरिये राजीनामा वादी के कब्जा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुसार दिशा/पड़ौस अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय की पालना वादी द्वारा तत्समय नहीं की जाकर वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय अनुसार तरमीम दुरूस्ती का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अनुसार तरमीम दुरूस्त करने का आदेश प्रदान किया है। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट को सुने बिना ही यह आदेश पारित किया गया है, इस हेतु मूल निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88(1), 89(बी) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि रेस्पों./वादी के पूर्वजों के ग्राम बाटाडु, तहसील बायतु के नवसृजित ग्राम मेराजाणियों की बेरी में प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी में खेत खसरा संख्या 1450 रकबा 350 बीघा का आया हुआ है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 धनीदेवी ने अपने हिस्से की आराजी में 60 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति से वादी को बेचान कर मौके पर कब्जा करा दिया एवं तब से वादी उक्त स्थान पर काबिज है। राजस्व रेकार्ड में खातेदारी इन्द्राज वादी के पक्ष में हो गया तथा क्रय की गई भूमि का नवीन खसरा संख्या 1450/2 कायम हुआ। वादी को प्रतिवादीगण अपने कब्जे–काश्त से बेदखल करना चाहते हैं इस हेतु वादी द्वारा मय नक्शा कब्जा–काश्त अनुसार वाद प्रस्तुत किया। जिस पर जरिये राजीनामा वादी के कब्जा अनुसार दिशा/पड़ौस अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय की पालना वादी द्वारा तत्समय नहीं की जाकर वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय अनुसार तरमीम दुरूस्ती का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही बाले–बाले तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। क्योंकि अपीलांट व रेस्पों. के पूर्वजों का समय–समय पर स्वर्गवास हो गया था। इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। वर्तमान में वादी के वारिसान द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन अनुसार तरमीम दुरूस्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा तरमीम दुरूस्ती का आदेश दिनांक 24.05.2024 को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारी मौके पर आए तब अपीलकर्ता को उक्त वाद की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.1992 की पालना तत्समय नहीं करवायी जाकर वर्तमान में लगभग 33 वर्षों बाद पालना हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो विधि द्वारा बाधित है। विधि अनुसार अगर कोई निर्णय एंवं डिक्री पारित की जाती है तो उस दिनांक से 12 वर्ष की अवधि तक ही डिक्री निष्पादन की कार्यवाही संपादित की जा सकती है। इस प्रकरण में लम्बी अवधि बाद डिक्री की पालना अमल में लाई जा रही है जो विधि अनुसार नहीं है। अपीलाधीन निर्णय के पक्षकारान की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हो चाने के बाद उस निर्णय व डिक्री की पालना करवाने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुमति लिया जाना आवश्यक होता है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में रेस्पों. द्वारा जो तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र किस हैसियत से प्रस्तुत किया गया है इसका किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है, न ही वंशावली बनाई गई है जिससे यह स्पष्ट हो कि जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है वह किसके वारिसान द्वारा प्रस्तुत किया गया है तहसीलदार ने भी इस आवेदन पत्र पर गौर किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से आदेश पारित करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। तहसीलदार, बाटाडु द्वारा उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि विधि अनुसार अपीलांट को नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिक निर्णय किया जाना आवश्यक था। जिसका प्रश्नगत आदेश में अभाव है। प्रश्नगत आदेश अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उपरोक्त राजीनामा के अनुसार उक्त वाद को दिनांक 12.11.1992 को निर्णीत किया गया था लेकिन वर्तमान में वादी के वारिसान द्वारा तहसीलदार, बाटाडु के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त वाद संख्या 97/1991 बउनवान कुशलाराम बनाम धनीदेवी वगैरह में न्यायालय के निर्णय व डिक्री के संलग्न विभाजन अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिनांक 24.05.2024 को दिये गये है। जो विधिक सिद्धान्तों के विपरीत हैं। उक्तानुसार प्रश्नगत आदेश में अपीलांट संख्या 01 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जावे एवं पत्रावली को पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान करावें। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1- (2008)RRD 804
2- RRT 2004(REVENUE)(1) 374
3- 2009(1)RRT 467
4- RRT 2002(1)648
5- 2008(2)RRT1442

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पूर्वजों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण में अपीलांट की तरफ से वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पों. संख्या 1 के पिता स्वं कुशलाराम द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादी/अपीलांट ने वादी/रेस्पों. के पूर्वज कुशलाराम से राजीनामा करते हुए वादी के वाद एवं वाद में अंकित आक्षेपों को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा राजीनामा पेश करते हुए प्रकरण का निस्तारण करते हुये निवेदन किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट धनीदेवी के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.11.1992 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पर्चा जारी कर दिया था। अपीलांट की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया है। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। क्योंकि एक तरफ अपीलांट स्वयं ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया तथा दूसरी और पुनः अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा एवं उसके आधार पर जारी निर्णय व डिक्री पर्चा सहित वाद की स्वीकारोक्ति के विपरीत जाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो न्यायोचित नहीं है। जहां तक अपीलाधीन निर्णय की क्रियान्विति का प्रश्न है उक्त के संबंध में निवेदन है कि रेस्पों. लगातार अपीलाधीन निर्णय के क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत रहे हैं। रेस्पों. संख्या 1 व उनके पिता द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु सतत् रूप से प्रयासरत रहे हैं। "रेस्पों. के पूर्वजों का समय समय पर स्वर्गवास हो गया" उक्त कथन अपीलांट द्वारा झूठा कहा गया है। धनी देवी आज भी जीवित हैं। प्रतिवादीनी धनीदेवी आज भी अपना जीवन यापन कर रही है। उक्तानसुार अपीलांट द्वारा झूठे व मनगढंत कथनों के साथ अपील पेश की गई है। अपीलांधीन निर्णय की पालना हेतु रेस्पों. संख्या 1 द्वारा दिनांक 24.05.2024 को श्रीमान तहसीलदार, बाटाडू

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को प्रार्थना–पत्र मय निर्णय व डिक्री पर्चा पेश करते हुए निर्णय की पालना हेतु निवेदन किया था। जिस पर तहसीलदार ने हल्का पटवारी को जांच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/531 दिनांक 24.05.2024 को जारी किया। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 05.06.2024 को अपना जवाब मय आपत्ति भी प्रस्तुत की थी। जिससे स्थापित है कि अपीलांट को समुचित अवसर देने हेतु समय पर सूचना दी गई थी। जिस पर ही अपीलांट ने दिनांक 05.06.2024 को आपति प्रस्तुत की थी। जिससे स्थापित है कि अपीलांट को हल्का पटवारी ने पहले ही सूचना दे दी थी। जिसके कारण अपीलांट ने दिनांक 05.06.2024 को अपनी आपति प्रस्तुत की है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि अपीलांट को तहसीलदार द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। उक्त प्रकरण की अपीलांट को पूर्णतया जानकारी थी। तहसीलदार द्वारा अपीलांट एवं रेस्पों. की उपस्थिति में तरमीम दुरूस्ती की गयी थी। उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा केवल झूठे एवं मनगढ़त तथ्यों के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतय विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। क्योंकि अपीलांट व रेस्पों. के पूर्वजों का समय–समय पर स्वर्गवास हो गया था। इसलिये अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। वर्तमान में वादी के वारिसान द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा तरमीम दुरूस्त का आदेश दिनांक 24.05.2024 को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारी मौके पर आए तब अपीलकर्ता को उक्त वाद की सर्वप्रथम जानकारी हुई, जानकारी होते ही अपील श्रीमान जी के समक्ष पेश कर दी। बाद जानकारी यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए। उपस्थिति होकर प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिस आधार पर अपीलाधीन ओदश पारित किया गया है। राजीनामा के बाद प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जानबूझकर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत अपील लगभग 33 वर्षों से देरीना प्रस्तुत की गई है जिसका सद्भाविक कारण भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री जारी की है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में अपील सारहीन एवं मियाद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2006
2. माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्र प्रदेश निर्णय दिनांक 11.11.1992
3. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, निर्णय दिनांक 16.04.1957

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा हस्तगत हस्तगत दोनों अपीलों को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली व वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद अपीलांट के पूर्वजों द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

वकील अपीलांट के कथनानुसार अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का उल्लेख किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलाधीन निर्णय में विधि अनुसार दावा व प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर विधि संगत निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने वाद में

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 97/1991 बउनवान कुशलाराम बनाम धनीदेवी वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.1992 को यथावत रखा जाता है।

29/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 कों मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर